प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3, □□□□:दिनांक 13 अगस्त, 2015

विषयः- □□□□ स्तर □□ स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□ पत्र □□ 4966/□0□0□0□0/□□0□□□/ 2015 दिनांक 13.03.2015 □□ □□□□□□ □□1217/52-3-15-□□(8)/2012, दिनाँक 23.07.2015 □□ सन्दर्भ में □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ कि □□□ द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मदरसों □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ निर्णय लि□ □□ □□

क्र0 □□	□□□□□□ □□	स्थायी मान्यता की □□□
1	□□□□ □□□□ हिन्द ता□□□ □□□□ शुक्लागंज, उन्नाव	06.08.2001
2	□□□□ दारूल □□□ जिया-□-मुस्तफा 105/654 फहीमाबाद □□□□□, □□□□ □□□	06.08.2001
3	□□□□ □□□□ कैमिब्रज स्कूल, □□□□	15.06.2002
4	□□□□ फात्मा गल्स □□□ □□□□□, □□□□□	15.06.2002
5	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□	15.06.2002
6	□□□□ मुस्तफा दारूल □□□ □□□□ छतरदास □□□, □□□□□	15.06.2002
7	□□□□ मुहम्मदिया फैज□□□ पिपरा □□□ □□□ □□□ तमकुही, □□□□□	19.03.2003
8	□□□□ □□□□ उस्मानिया गल्स हाईस्कूल उस्माननगर, दुदही, □□□□□	11.06.2003
9	□□□□ दारूल □□□ नियाजिया कादिरिया □□□ □ब्जी मण्डी, फैज□□□	11.06.2003
10	□□□□ नूरूल □□ बिजलीपुरा, □□□□□□	11.06.2003
11	□□□□ □□ □□□□□□□ दारूल □□□ □□□□□□□ बनजारिया, देवरिया	28.06.2003

http://shasanadesh.up.nic.in

12	□□□□□ अरबिया □□□□□ इस्लाम □□□□ □□□, देवरिया	28.06.2003
13	□□□□□ मिस्बाहुल उ□□ बावर्ची □□□□ □□□□□□, □□□□□□	28.06.2003
14	□□□□□ □□□□□□ इस्लामी दारूल फिक्र गा□□ □□□ □□□□□ □□□, □□□□□□	28.06.2003
15	□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ मुर्की, □□□□□	11.09.2003
16	□□□□□ फारूकिया नव□□ हिरामनपुर, □□□□□□	11.09.2003
17	□□□□□ □□□□□□□ इस्लामिया श्□□□□□ मडियाहू, □□□□□	11.09.2003

2- उक्त मदरसों □□ निम्नलिखित शर्तों □□□प्रतिबन्धों के अ□□□ तत्कालिक प्रभाव □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□की राज्यपाल □□□□ सहर्ष स्वीकृति प्रदान □□□□हैं:-

1. □□□□□, शिक्षा संहिता □□नियमों का □□□ किया □□□□□
2. □□□□□, शिक्षा संहिता □□□□□□ □□□□□□ □□□ शर्तों का □□□ किया □□□□□
3. □□□□□ □□□ □□□□ □□□ आदेशों □□ □□□ □□□□, □□ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की □□□ □□□□□ में □□□-□□□ □□ निर्गत किये □□□हों।
4. □□□□□में □□□□□ मान्यता □□□□□ □□□□□□□-1987 □□□ □□□□□- 1998, 2000 □□□2004 □□प्राविधानों के अ□□□ अनुमन्य शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त हों।
5. □□□□□द्वारा □□□□□ मान्यता □□□□□ □□□□□□□-1987 में प्राविधानित नियम-22 □□□ अन्य □□□□ नियमों/प्रविधानों तथा शासनादेशों □□ □□□□□□ सुनिश्चित कर□□□□ □□□□□□□□ अर्ह/पात्र शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की □□□□ □□□ चतुर्थ श्रेणी □□□□ □□ □□□□ आउटसोर्सिंग से □□□ □□□□□
6. प्रदेश □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ मदरसों □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□शर्तों □□निर्धारण के□ □□□ में जारी □□□□□□ संख्या-2853/52-3-2014-□□(8)/2012, दिनांक 27.2.2015 □□ पूर्णरूपेण अ□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□□

3- □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□□ संवितरित कर□□□पूर्व □□ सुनिश्चित □□ □□□□ □□□ कि मदरसों द्वारा उल्लिखित शर्तों □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ स्पष्ट किया □□□□ □□कि नियुक्ति संबं□□ □□□□ नियमों एं□□प्राविधानों का □□□□□□ पूर्वरूपेण सुनिश्चित □□□□□ □□□□ किसी □□ प्रकार □□विचलन □□ तत्काल □□□□ □□संज्ञान में □□□□ □□□□ यदि संस्थायें उक्त निर्धारित शर्तो में □□किसी □□ शर्त की पूर्ति नहीं □□□□ □□,□□□ □□□स्वीकृत □□□□□□ □□ □□□□□ □ किया □□□ □□ उसकी □□□□ तुरन्त □□□□ □□ दी □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ नियुक्ति के प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त □□□□□□□शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों पर अ□□□□□ प्रदान किया □□□□ प्रत्येक द□□ में □□ सुनिश्चित किया □□□ कि नियुक्तियों का अ□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ स्पष्ट किया □□□□ □□कि □□□□□ नियमों एं□□ प्राविधानों के विपरीत हुए □□□□ □□□□□□□□□□ नियुक्तियों को अनुमोदित □ किया □□□□ इसमें किसी प्रकार की □□□□□□□ □□□□ लापरवाही □□ □□□□ गम्भीरता □□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

4- □□□□□ जिले □□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा □□□□□में की □□□ नियुक्तियों □□□□□ में □□□□□ मान्यता □□□□□□ □□□□□□□ 1987 □□□ □□□□□□ 1998, 2000 □□□2004 □□ □□□□ में □□□-□□□ □□ निर्गत सु□□□ शासनादेशों □□□ नियमों का□ □□□□ सुनिश्चित □□□□□□□ □□□ □□□□□ किया □□□□, इसमें किसी □□ प्रकार □□विचलन □□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□उत्तरदायी होंगं।

5- उक्त □□ □□ □□□□□□□ व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□ व्ययक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग □□ □□□□□ संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-11-146 □□□□ □□□□ स्तर □□स्थायी मान्यता प्राप्त अ□□□ □□□□ मदरसों □□ □□□□□-31-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) □□□□□ किया □□□□□

6- उक्त □□□ वित्त विभाग □□अशासकीय संख्या-□-11-932/□□-2015 दिनांक 12 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीय,

(श्री प्रकाश □□□)
□□□□□

संख्या-1917(1)/52-3-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हे□□प्रेषितः-

1. □□□□□□□□□, □0प्र0 □□□□□□□□□
2. रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, □□□□□
3. मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, □0प्र0□
4. वित्त एंव लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□
5. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अ□□□□□-11, वित्त (अ□□-व्ययक) □□□□□-1/2, अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1, □□□□□□ □□□□□-4, शिक्षा □□□□□-5
6. □□□□, □□□□ शिक्षा, □0प्र0 □□□□□
7. शिक्षा □□□□□ (माध्यमिक) □□ शिक्षा □□□□□ (□□□□)□
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला □□□□ शिक्षा अधिकारी, □0प्र0□
9. समस्त □□□□□ मदरसों □□प्रबन्धक को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा।
10. गार्ड फ□□□□

आज्ञा □□

(□□ □□□□□ मौर्य)
□□ □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in